

अनुसूची

(धारा 19 और धारा 25 देखिए)

विद्यालय के लिए मान और मानक

क्रमांक	मद	मान और मानक
1.	शिक्षकों की संख्या :	
	(क) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा प्रवेश किए गए बालक के लिए	शिक्षकों की संख्या साठ तक दो इकसठ से नब्बे के मध्य तीन इक्यानवे और एक सौ बीस चार के मध्य एक सौ इक्कीस और दो सौ पांच के मध्य एक सौ पचास बालकों से अधिक पांच धन एक प्रधान अध्यापक दो सौ बालकों से अधिक छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा।
	(ख) छठवी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो- (i) विज्ञान और गणित: (ii) सामाजिक अध्ययन : (iii) भाषा। (2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। (3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां ... (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक: (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक.. (अ) कला शिक्षा: (आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (इ) कार्य शिक्षा।
2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे- (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह-प्रधान अध्यापक कक्ष: (ii) बाधा मुक्त पहुंच

- (iii) लड़को और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय:
 - (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल सुविधा:
 - (v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां एक रसोई
 - (vi) खेल का मैदान
 - (vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं।
3. एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या
- (i) पहली से पांचवी कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवस:
 - (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवस:
 - (iii) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटा:
 - (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हजार शिक्षण घंटे।
4. शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों न्यूनतम संख्या
5. अध्यापन शिक्षण उपस्कर
6. पुस्तकालय
7. खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर
- प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी। प्रत्येक कक्षा की अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रपति ने दि राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

सचिव, भारत सरकार